

जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा-कोठी, जीन्द (हरियाणा)

निविदा संख्या _____

रसीद संख्या _____

दिनांक _____

दिनांक _____

सेवा में

विषय :- विद्यालय में _____ की आपूर्ति हेतु निविदा।

दैनिक जागरण में दिनांक 22.10.2020 में प्रकाशित निविदा सूचना द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी, जीन्द (हरियाणा) हेतु वर्ष 2020-21 के लिये प्रतिष्ठित एवं अनुभवी आपूर्ति कर्ताओं से दिनांक 11.11.2020 सांय 4:00 बजे तक _____ की आपूर्ति हेतु निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

निविदा फार्म की सामान्य शर्तें एवं सामान की सूची सलंगन हैं।

प्राचार्य
ज.न.वि. खुंगा कोठी
जीन्द (हरियाणा)

सलंगन :- उपरोक्तानुसार।

जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा-कोठी, जीन्द (हरियाणा)

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

फर्म का नाम _____

पूरा पता – _____

निविदा हेतु _____

1. जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी, जीन्द की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.10.2020 से 11.11.2020 समय सांय 4:00 बजे तक छात्र-छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु सत्र 2020-21 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा के लिफाफे पर, जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उद्घारणार्थ फर्नीचार की निविदा में लिफाफे पर “फर्नीचार आपूर्ति हेतु निविदा 2020-21” स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।
3. निविदाएं जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी, जीन्द के प्राचार्य कक्ष में दिनांक 12.11.2020 को प्रातः 10:00 बजे खोली जायेगी।
4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तों, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को प्रपत्र की शर्तों पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।
5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों जैसे जी.एस.टी., उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित होगी व एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी, जीन्द होनी चाहिए।
6. निविदा फार्म साफ-सुधरे ढंग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट-छांट यथासंभव नहीं करें। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति-आवश्यक है तो उसे साफ-साफ तरीके से करते हुये परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पार सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।
8. निविदा में स्वीकृत दरें 30.06.2021 तक के लिए मान्य होंगी (अनुबन्ध आधार पर वाहन की समय सीमा दो वर्ष के लिए होगी) जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों के अनुरूप आपूर्ति/कार्य करेगा।
9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) रु..... केवल बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी, जीन्द पर देय होगा। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा की अन्तिम स्वीकृति होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छुट चाहता है तो वह संबंधित सरकारी आदेश की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत संबंधित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेतु पात्रता रखती है।

10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें।
11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हें कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राशि उन्हें निश्चित अवधि एक माह के अन्दर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी। यदि निविदा अनुबन्ध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त की दी जाएगी।
13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदा दाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रहता है अथवा आपूर्ति नहीं करता तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा लें। इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कठौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जाएगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।
14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफ्ट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।
15. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्ता/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी. एवं अनुमोदित दर दोनों में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।
17. प्रिन्टेड एम.आर.पी. (MRP) में जब-जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढ़ी हुई एम.आर.पी. (MRP) का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार में करावे और यदि सप्लायर/फर्म द्वारा प्रस्तुत करी गयी एम.आर.पी. (डब्ल्यू) दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से आपूर्ति करवाकर हानि की भरपाई सप्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा करवाई गई सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है।
18. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेगे। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन है उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसको संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निशुल्क प्रशिक्षण भी देगा।
19. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नहीं पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जागगा।
20. ऐसी सामग्री जैसे कपड़ा, स्टेशनरी, जूता चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जांच किसी सरकारी लेब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जांच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जांच एजेन्सी का चयन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।

21. निविदा उन्हीं फर्मों की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापर करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापार से संबंधित वैट प्रमाण पत्र व वैट नम्बर प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्पष्टतया दर्शाया गया हो कि संबंधित फर्म खाद्य सामग्री के व्यापार करने हेतु पंजीकृत हैं।
22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टुट-फुट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होंगे और उस हानि की भरपायी उन्हीं के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुई हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
23. आपूर्तिकर्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
24. विवादास्पद आइटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आइटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा।
25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टैण्डर की शर्त आदि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इन्हें प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता है। यदि उसे इन शर्तों या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करे तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचार सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा।
27. इन सामान्य शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तों का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न है।
28. ऐसी सामग्री जिसके निमित्त नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नमूना किसी भी दशा में निविदादाता को वापस नहीं किया जायेगा।
29. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जीन्द्र होगा।
30. किसी भी विषम परिस्थितियों में यदि विद्यालय को बन्द करने का आदेश प्राप्त होता है तो विद्यालय में आपूर्ति की गई राशन सामग्री को आपूर्तिकर्ता फर्म वापिस लेने के लिए बाध्य होगा।
31. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करेंगे –
 - आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर व टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।
 - निर्धारित धरोहर राशि।
 - यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित/अधिकृत वितरक का प्रमाण पत्र।
 - जहां लागू हो, जी.एस.टी./बिक्री कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
 - फर्म बैंक खाते का नम्बर व आर.टी.जी.एस. नम्बर।
32. सभी निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे निविदा सम्बन्धी आवेदन फार्म लेने या जमा करवाने विद्यालय में आये तो कोविड-19 के नियमों की पालना करें।

प्राचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
जिला जीन्द्र (हरियाणा)

दिनांक :

जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा-कोठी, जीन्द (हरियाणा)

निविदा 2020-21

क्र.सं.	वस्तु का नाम	धरोहर राशि
1.	भोजनालय एवं दैनिक उपयोग सामग्री	30000/-
2.	विद्यार्थियों की बाल कटींग	1000/-
3.	विद्यार्थियों की वर्दी धूलाइ एवं प्रेस	5000/-
4.	सब्जी, फल एवं ब्रैड	10000/-
5.	नाश्ता सामग्री	2000/-
6.	सफेदी एवं रंग रोगन सामग्री	10000/-
7.	विद्यालय हेतु अनुबन्ध पर वाहन	20000/-
8.	टकशाप (केंचीन)	5000/-
9.	बाहरी स्त्रोत्र से कर्मचारियों की सेवायें	20000/-

नोट :- उपरोक्तानुसार धरोहर राशि डिमाण्ड ड्रापट द्वारा जो कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी (जीन्द) के पक्ष में हो संलग्न करें।

धरोहर राशि व निविदा शुल्क (यदि ब्लॉग/वैबसाइट से डाउनलोड किया गया है) का विवरण एवं शर्त सहमति पत्र

1. निविदा प्रपत्र के साथ (ब्लॉग/वैबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो) निविदा शुल्क रूपये का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक जो कि बैंक द्वारा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जीन्द के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।

उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तों के उल्लंघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा।

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 32 तक समस्त शर्त मेरे द्वारा पढ़ ली गई है और ये सभी शर्तें मान्य हैं। जिसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदा भरने वाले का नाम

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा-कोठी, जीन्द (हरियाणा)

दिनांक :

प्रमाण पत्र

मैं प्रो० मैसर्ज.....

..... प्रमाणित करता हूं कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय, खुंगा कोठी (जीन्द) द्वारा

..... हेतु रखे गए नमूने (गुणवत्ता एवं माप).....

..... अच्छी तरह देख लिए हैं व समझ लिए हैं तथा इन्हीं नमूनों के अनुसार मैं अपने रेट निविदा में अंकित कर रहा हूं। यदि विद्यालय द्वारा मेरे रेटों को अनुमोदित (पास) कर दिया जाता है तो मैं नमूनों के अनुसार वर्ष 2020-21 में सामान की आपूर्ति के लिए वर्चनबद्ध हूं। यदि मैं नमूनों के अनुसार आपूर्ति करने में असमर्थ रहता हूं तो विद्यालय को मेरे द्वारा जमा सुरक्षा राशि को जब्त करने का पूरा अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मेरे द्वारा मान्य होगा।

हस्ताक्षर

नाम व पता (फॉर्म).....

.....
मोब.नं.